

41/2023/33 Crim (D)

खासिज  
19.3.2024

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़  
धन्नाराम आदि  
प्रिया आदि बनाम  
प्रकरण संख्या 322 वर्ष 2023

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामिल  
में जारी हुये

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
15.12.2023	वादीगण द्वारा यह वाद पत्र जरिये वकील पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मान से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 11.01.2024 को पेश हो	
11-1-2024	वकील ए. करोकन उपस्थित/PU माहः शम्भू शर्मा ने पत्रावली पेश की। गस्त: 18.1.2024 दिनांक 18.1.2024 को पेश हो	
13.3.2024	वकील ए. करोकन उपस्थित/PU माहः राजेश शर्मा ने पत्रावली पेश की। गस्त: 17.3.2024 दिनांक 17.3.2024 को पेश हो	
19.3.2024	वकील कहीषा ने धारणा पत्र मिराल पेष्की पेश करने पर पत्रावली को पेष्की में लिखा गया। वकील कहीषा ने जिजेकन अधिन कि कहीषा व पुष्कीरी में दायीनामा होने के कारण वाद-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं मौजूदा रिचार्ज में खासिज करवाना चाहते हैं वाद-पत्र मौजूदा रिचार्ज में खासिज की जाये है। पत्रावली नम्बर से क्रम की जाकर वाद दरमीक व वकील जाह्ला दापिन दफतर हो।	राजेश शर्मा हो उ महे पत्रावली चाहते हैं इन्ना प. कती

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

